न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, जिला उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.
राजस्व वाद संख्या : 151/04 (वाद)
GCMS No. : 2004/00001

अनवान

1. श्री अम्बालाल पिता फकीरचन्द्र धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।

1/1 श्री निलेश पिता अम्बालाल धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।

1/2 श्रीमती कैलाशी पत्नी प्रभुलाल धोबी निवासी सनवाड तहसील मावली।

1/3 श्रीमती उमाबाई पत्नी मुकेश कुमार धोबी निवासी म.न.ए40 सत्यम हॉस्पीटल के सामने रेल्वे मेडिकल कॉलोनी रेल्वे हॉस्पीटल जोधपुर।

1/4 श्रीमती शान्ताबाई बेवा अम्बालाल धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।

.....वादीगण

बनाम्

1. श्री रमेश पिता हिरा धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
2. श्री राजेन्द्र पिता मोहनलाल धोबी निवासी सराडा तहसील सराडा।
3. श्री देवेन्द्र पिता मोहनलाल धोबी निवासी सराडा तहसील सराडा।
4. श्रीमती सीमा पुत्री मोहन धोबी निवासी सराडा तहसील सराडा।
5. श्रीमती रीना पिता मोहन धोबी निवासी सराडा तहसील सराडा।
6. श्रीमती मोहन (मोहन की विधवा पत्नी) निवासी सराडा तहसील सराडा।
7. श्री ईश्वरलाल पिता गणपतलाल धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
8. श्रीमती इन्दिरा पुत्री गणपतलाल पत्नी बद्रीलाल धोबी निवासी राजनगर, नया बस स्टेण्ड के पास हाईवे पर जिला राजसमन्द।
9. श्रीमती वरदी बेवा गणपतलाल धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।**(तर्क)**
10. श्री भेरूलाल पिता मांगीया धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
11. श्री अनिल कुमार पिता रमेशचन्द्र धोबी बविलायत पिता रमेशचन्द्र धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
12. श्री हरीश दत्तक पिता चुन्नीलाल धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री दिनेश पालीवाल, अधिवक्ता वादीगण।

2. श्री ललित वसीटा, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1, 11
3. श्री घनश्याम पालीवाल, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 12

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:53 IST
Reason: SelfAttested

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 26.03.2025

1. वादीगण द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा इण्टाली तहसील मावली जिला उदयपुर की आराजी नम्बर 2004, 2005, 2008, 2009, 2010, 2616, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625 किता 13 कुल रकबा 21 बीघा 14 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है। उक्त वर्णित भूमि वर्तमान में सम्वत् 2056 से 2059 की खतौनी में प्रतिवादी संख्या 1 के 1/6 खातेदारी हक से, प्रतिवादी संख्या 2 से 9 के पूर्वज स्व. गणपत पिता जीतू धोबी निवासी ईण्टाली के 1/6 खातेदारी हक से, प्रतिवादी संख्या 10 श्री भेरूलाल पिता मांगीया एवं उसकी स्व. माता श्रीमती नाथी बेवा मांगीया के 1/3 खातेदारी हक से तथा प्रतिवादी संख्या 12 श्री हरीश धोबी की विधवा माता श्रीमती मांगी बेवा चुन्नीलाल धोबी के 1/3 खातेदारी हक से अंकित है। यह भूमि इस वाद में वादग्रत भूमि के नाम से सम्बोधित की जा रही है। स्व. खातेदार श्री गणपत लाल के बजाय उसके पुत्र स्व. मोहनलाल, ईश्वरलाल, पुत्री इन्दिरा और विधवा पत्नी श्रीमती वरदी के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 1637 से नाम अंकित हो गया हैं। खातेदार स्व. श्रीमती मांगीबाई बेवा चुन्नीलाल धोबी निवासी ईण्टाली, वादी की सगी बहिन है, जिसने अपने जीवनकाल में तारीख 24.02.2004 को वादी के पक्ष में अपनी समस्त कृषि भूमि, मकान, चल–अचल सम्पति का ईच्छा पत्र (विल) वादी के पक्ष में सम्पादित कर दिया हैं। यह वसीयत पत्र (विल) उसने वल्लभनगर तहसील परिसर में पहुंच कर दस्तावेज लेखक से लिखवा कर उस पर अपने हस्ताक्षर अंकित कर दिए, उस पर साखे लगवाई और नोटेरी से प्रमाणित कराया। वादी की बहिन श्रीमती मांगीबाई पत्नी चुन्नीलाल जी लगभग 20 वर्ष से विधवा थी और उसका घर जीर्ण–शीर्ण हो जाने से वादी के मकान में निवास करती, उसके बुढापे में वह वादी के परिवार में ही रहने लग गई क्योंकि वह अशक्त हो गई थी। उनका निधन तारीख 23.03.2004 को 85 वर्ष की उम्र में हो गया। वादी की बहिन श्रीमती मांगी बेवा चुन्नीलाल ने वादी के पुत्र प्रतिवादी संख्या 12 श्री हरीश को वर्ष 01.03.2004 को दत्तक पुत्र रखा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:53 IST
Reason: SelfAttested

क्योंकि ऐसा उसके पति ने चुन्नीलाल जी ने अपने जीवनकाल में उसे निर्देश दिया था। वादी ने एवं उसकी पत्नी श्रीमती शान्तादेवी ने अपने पुत्र हरिश को हरिश की सहमति से अपनी बहिन श्रीमती मांगीबाई को दत्तक पुत्र के रूप में सिपुर्द किया। बहिन ने हरिश प्रतिवादी को अपने पास बैठाया, उसके सिर पर लेरिया बंधवाया और गुड बंटवाया। गोद रखने की सबूत स्वरूप उसी दिन सनवाड नायब तहसील में पहूंच गोद पत्र लिखवा कर उसका पंजीयन कराया। तारीख 01.03.2004 से वादी का जायन्दा पुत्र श्री हरिश वादी की बहिन का दत्तक पुत्र हुआ जिसने वादी की बहिन श्रीमती मांगीबाई का उसके देहान्त के पश्चात् अंतिम संस्कार किया। मरने के बाद काज–करियावर किया। चूंकि खातेदार श्रीमती मांगी बेवा चुन्नीलाल धोबी ने अपनी सम्पति वादगत भूमि, मकान का तारीख 24.02.2004 को अंतिम वसीयत नामा वादी के पक्ष में सम्पादित कर दिया था जिसके बाद तारीख 23.03.2004 को उसका देहान्त हो गया जिस वजह से वादी वादगत भूमि का खातेदार काश्तकार हो गया हैं। वादगत भूमि पर वादी का कब्जा प्रतिवादी संख्या 1 से 10 के साथ चला आ रहा था क्योंकि स्व. खातेदार श्रीमती मांगीबाई बेवा चुन्नीलाल धोबी की वृद्वावस्था में वादी ही देखभाल एवं उसकी खेती करवाता था।

2. यह कि प्रतिवादी संख्या 1 श्री रमेश, 7 श्री ईश्वरलाल, 9 श्रीमती वरदी, 10 श्री भेरूलाल वादगत भूमि में स्व. श्रीमती मांगीबाई बेवा चुन्नीलाल जी की भूमि को हडपने का लालच पैदा हो गया है और प्रतिवादी संख्या 11 श्री अनिल कुमार पिता रमेशचन्द्र धोबी का कथन है कि स्व. श्रीमती मांगीबाई बेवा चुन्नीलाल धोबी ने उनके पक्ष में वसीयत निष्पादित कर दिया है, जिस वजह से वादी या उसका जयान्दा पुत्र प्रतिवादी संख्या 12 श्री हरीश दोनो वादगत भूमि में कोई हक–स्वत्व के अधिकारी नहीं हैं। वादी ने खातेदार स्व. मांगीबाई के दत्तक पुत्र प्रतिवादी संख्या 12 श्री हरीश और प्रतिवादी संख्या 11 अनिल कुमार ने नायब तहसीलदार साहब सनवाड के समक्ष वादगत भूमि अपने नाम दर्ज कराने का आवेदन किया किन्तु वे इस कार्य को निर्णित करने में असमर्थ रहे और पक्षकारों को सक्षम न्यायालय से इसे तय कराने का आदेश दिया। खातेदार स्व. श्रीमती मांगीबाई बेवा चुन्नीलाल ने तारीख 24.02.2004 को वादगत भूमि का वसीयत पत्र वादी के पक्ष में सम्पादित किया [illegible]तिवादी श्री अनिल कुमार धोबी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:53 IST
Reason: SelfAttested

पक्ष में जिस वसीयत पत्र दिनांक 15.01.2004 का निष्पादित किया जाना बताया जाता है वह वसीयत पत्र श्रीमती मांगीबाई बेवा श्री चुन्नीलाल जी धोबी ने तारीख 24.02.2004 ई. को खारिज कर दिया है। इसलिए वादी के पक्ष में किया गया वसीयत पत्र ही श्रीमती मांगीबाई बेवा चुन्नीलाल धोबी का अंतिम वसीयत पत्र है और वादी ही उसके पक्ष में किए वसीयत पत्र के अनुसार वादगत भूमि के 1/3 हिस्से का उसी समय खातेदार काश्तकार हो गया जब स्व. श्रीमती मांगीबाई का तारीख 23.03.2004 को देहान्त हो गया। इसलिए वादी को खातेदार काश्तकार होने की घोषणा का यह वाद हैं।

3. यह कि प्रतिवादी संख्या 1 से 11 वादग्रस्त भूमि के उस भाग पर जिस पर स्व. मांगीबाई अलग से कब्जा रख खेती करती और वादी भी उसके साथ खेती करता और उसकी मृत्यु के बाद काबिज है उसमें प्रतिवादीगण वादी को नुकसान पहुंचाने की हरकत करते रहते है, जैसे–छुपकर घास काट लेना, फसल में मवेशी चरा देना। इसलिए प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा जारी कराना आवश्यक हो गया है कि प्रतिवादीगण वादी को वादगत भूमि पर से बेदखल नहीं करे, वादी को वादगत भूमि से पैदावार लेने में रूकावट नहीं करें। यह कार्य वे, अपने परिवार के सदस्यो या अन्यो से भी नहीं करावें। प्रतिवादी संख्ख्या 1 से 11 के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा जारी कराना आवश्यक है अन्यथा वादी जो खातेदार काश्तकार हो चुका है वह अपनी भूमि से पैदावार नहीं ले सकेगा, उसे बार–बार प्रतिवादीगण के खिलाफ न्यायालयों, थानो के चक्कर काटने पडेगे और वह मुकदमेबाजी में पडकर बर्बाद हो जावेगा। उसे इतना अधिक नुकसान होगा कि उसे न तो रूपयो में आंका जा सकता है न उसकी वसुली ही प्रतिवादीगण से हो पाना सम्भव हैं। वादी प्रतिवादीगण के साथ वादगत भूमि पर काबिज नहीं रहना चाहता है। वह अपने 1/3 हिस्से का पांती बंटवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करा कर प्रतिवादीगण से अलग काबिज हो जाना चाहता है। जिस वजह से यह बंटवाडा का भी वाद हैं। प्रतिवादी संख्या 12 यद्यपि खातेदार स्व. श्रीमती मांगीबाई बेवा चुन्नीलाल का दत्तक पुत्र है परन्तु वादगत भूमि का अंतिम वसीयत पत्र वादी के पक्ष में लिखा इस वजह से अंतिम वसीयत पत्र के अनुसार ही वादगत भूमि का वादी खातेदार

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:53 IST
Reason: SelfAttested

बन चुका हैं। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 12 का भी वादगत भूमि में कोई स्वत्व अधिकार नहीं हैं।

4. अन्त में निवेदन किया कि वादी के पक्ष में निम्न आशय की डिक्री प्रदान कराई जावे कि मौजा ईण्टाली की कृषि भूमि जिसका वर्णन इस वाद में कर रखा है उसमें मृतक खातेदार स्व. मांगी उर्फ मांगीबाई बेवा चुन्नीलाल धोबी निवासी ईण्टाली के बजाय वादी को उसके 1/3 सम्पूर्ण हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें। प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी फरमाई जावे कि वे वादी को वादगत भूमि से बेदखल नहीं करे, वादी को वादगत भूमि से बेदखल नहीं करे, वादी को वादगत भूमि पर खेती करने देवे, पैदावार लेने देवे। वादग्रस्त भूमि का बंटवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स कराया जावे और वादी के 1/3 हिस्से की भूमि वादी के स्वतन्त्र खाते में, कब्जे में अंकित कराई जावें। अन्य अनुतोष जो वादी प्रतिवादीगण के मुकाबले प्राप्त करने का अधिकारी पाया जावे वह भी दिलाया जावे। दौराने वाद यदि प्रतिवादीगण वादी को वादगत भूमि से बेदखल कर देवे तो कब्जा भी वादी को दिलाया जावें और हर्जाना 10,000/— रूपया सालाना के हिसाब से दिलाया जावें।

5. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 11 द्वारा जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि वादी का श्रीमती मांगीबाई सगी बहन होना एवं उसका निधन दिनांक 23.03.2004 को होने का कथन स्वीकार। मृतक मांगीबाई की जायदाद को हडपने के लिए वादी ने कुटरचित वसीयत पत्र दिनांक 24.02.2004 को तैयार किया हैं। वादी के पुत्र हरिश को मांगी बाई बेवा चुन्नीलाल ने कभी भी गोद नहीं रखा और न ही चुन्नीलाल जी ने उनके जीवनकाल में गोद बाबत कोई निर्देश दिये और न गोद की जाति रिवाज के अनुसार कोई रस्म हुई। वादी ने मृतक मांगीबाई की सम्पति को हडपने के लिए झुठे कथन अंकित किये हैं। वादी ने मृतक मांगीबाई की सम्पति को हडपने के लिए कुटरचित वसीयत पत्र तैयार की है एवं मांगीबाई के मरणोपरान्त अब कुटरचित वसीयत पत्र को आधार बनाकर अंकित किये हैं। प्रतिवादी संख्या 11 अनिल कुमार मृतक मांगीबाई की जायदाद का एक मा[illegible] अधिकारी एवं आधिपत्यधारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:53 IST
Reason: SelfAttested

वादी अथवा अन्य प्रतिवादीगण का मृतक मांगीबाई की जायदाद में किसी प्रकार का कोई हक अधिकार एवं आधिपत्य नहीं हैं। मृतक मांगीबाई ने अपने जीवनकाल में दिनांक 15.01.2004 को प्रतिवादी संख्या 11 अनिल कुमार के पक्ष में वसीयत पत्र निष्पादित किया और मृतक मांगीबाई का वसीयत पत्र निष्पादित करने के बाद 23.02.2004 को निधन हो गया जिससे उसकी विवादित भूमि का अनिल कुमार खातेदार काश्तकार होकर स्वामी अधिकारी एवं आधिपत्यधारी हैं। वादी ने मृतक मांगीबाई की जायदाद को हडपने के लिए कुटरचित वसीयत पत्र निष्पादित किया है जिसके आधार पर वादी को कोई राईट प्राप्त नहीं होता हैं। मृतक मांगीबाई की वादग्रस्त सम्पति कृषि भूमि एवं अन्दर हल्का आबादी की जायदाद पर मृतक मांगीबाई के जीवनकाल से ही काबिज होकर उपयोग उपभोग प्रतिवादी संख्या 11 कर रहा है और प्रतिवादी संख्या 11 नाबालिग होने से प्रतिवादी संख्या 11 प्रतिवादी संख्या 1 अपने पिता के साथ रहकर प्रतिवादी संख्या 1 एवं 11 एवं उसके परिवार वालो ने मृतक मांगीबाई की उसके जीवनकाल में सेवा चाकरी की जिससे खुश होकर मृतक मांगीबाई ने 15.01. 2004 को विधिवत वसीयत पत्र निष्पादित किया है और मृतक मांगीबाई की जायदाद का प्रतिवादी संख्या 11 खातेदार काश्तकार होने से वादी किसी प्रकार की कोई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी नहीं हैं। विदित रहे कि प्रतिवादी संख्या 11 का ही वादग्रस्त मांगीबाई की भूमि पर कब्जा काश्त उपयोग है तो छुपकर घास काटना, फसल में मवेशी चरा देना आदि कथन अपने आप में मिथ्या हैं। वादी हम प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा एवं घोषणा की डिक्री जारी कराने का अधिकारी नहीं हैं। वादी का जब वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का कोई हक अधिकार एवं आधिपत्य ही नहीं है तो वह 1/3 हिस्से का बंटवाडा कराने का अधिकारी होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता हैं। वादी के पक्ष में मांगीबाई बेवा चुन्नीलाल धोबी ने जब कोई वसीयत ही निष्पादित नहीं की तो वसीयत के आधार पर खातेदार होने का कथन गलत होकर अस्वीकार हैं। दिनांक 04.10.2004 अथवा अन्य किसी भी तारीख को कोई बिनाय वाद हम प्रतिवादीगण के विरूद्व पैदा नहीं होती हैं। वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष वादी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:53 IST
Reason: SelfAttested

6. **काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया** कि मौजा ईण्टाली तहसील मावली के परिशिष्ट क में वर्णित आराजी नम्बर 2004, 2005, 2008, 2009, 2010, 2616, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625 किता 13 कुल रकबा 21 बीघा 14 बिस्वा, परिशिष्ट ख में वर्णित आराजी नम्बर 824, 2612, 2613, 22614, 2615, 2637 किता 6 कुल रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा, परिशिष्ट ग में वर्णित आराजी नम्बर 2629 रकबा 16 बिस्वा एवं परिशिष्ट घ में वर्णित आराजी नम्बर 2618 रकबा 7 बिस्वा इस प्रकार परिशिष्ट क में वर्णित भूमि में रमेश पिता हीरा 1/6 मोहनलाल ईश्वरलाल इन्दरा पिता गणपत मु. वरदी बेवा गणपत 1/6 भेरूलाल पिता मांगीया मु. नाथी बेवा मांगीया 1/3 हि.ब. मु. मांगी बेवा चुन्नीलाल 1/3 धोबी सा. दे हके नाम पर अंकित हैं। इसी प्रकार परिशिष्ट ख में वर्णित आराजीयात रोडा पिता गंगाराम कालु पिता प्यारा बालुलाल मोतीलाल पिता नाथु 1/3 हि. ब. प्रथा पिता धन्ना 1/3 भेरूलाल पिता मांगीया मु. नाथी बेवा मांगीया 1/9 हि.ब. रमेश पिता हीरा केसी बेवा हीरा गणपत पिता जीतू 1/9 हि.ब. मांगी बेवा चुन्नीलाल 1/9 धोबी सा. देह खातेदार एवं प्रथा पिता धन्ना के बजाय नारायणलाल रामलाल मथरा पिता प्रथा केसी गुलाबी लेरी गोपी दुख्तर प्रथा 1/3 एवं गणपत पिता जीतू विरासत से मोहनलाल ईश्वरलाल इन्दरा पिता गणपत मु. वरदी बेवा गणपत के नाम पर अंकित हैं। इसी प्रकार ग में वर्णित आराजीयात कालु पिता प्यारा बालु लालु मोती पिता नाथु 1/3 हि. ब. रोडा पिता गंगाराम रमेश पिता हीरा मु. केसी बेवा हीरा गणपत पिता जीतू 1/9 हि.ब. भेरूलाल पिता मांगीया मु. नाथी बेवा मांगीया 1/9 हि.ब. मु. मांगी बेवा चुन्नीलाल 1/3 धोबी सा. देह एवं गणपत पिता जीतू विरासत से मोहनलाल ईश्वरलाल इन्दरा पिता गणपत मु. वरदी बेवा गणपत दर्ज करने की स्वीकृति हुई। इसी प्रकार परिशिष्ट घ में वर्णित आराजीयात मु. मांगी बेवा चुनीया धोबी सा. देह के नाम पर अंकित हैं। काउन्टर क्लेम में वर्णित आराजीयात के खातेदार मु. मांगीबाई बेवा चुन्नीलाल धोबी की आराजीयात का ही विवाद है और काउन्टर क्लेम के परिशिष्ट क में वर्णित आराजीयात के 1/3, ख में वर्णित आराजीयात के 1/9, ग में वर्णित आराजीयात के 1/3, घ में वर्णित आराजीयात के सम्पूर्ण हिससे की श्रीमती मांगीबाई बेवा चुन्नीलाल एक मात्र खातेदार काश्तकार होकर स्वामित्वधारी एवं आधिपत्यधारी थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:53 IST
Reason: SelfAttested

7. यह कि प्रतिवादी संख्या 1 एवं 11 के खानदान का सजरा इस प्रकार है :–

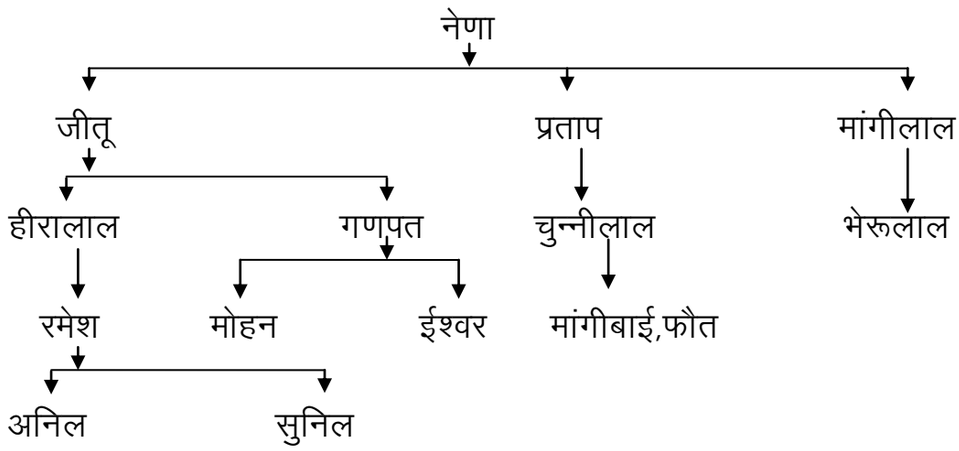

8. यह कि स्व. मांगीबाई प्रतिवादी संख्या 1 के बडी माता एवं प्रतिवादी संख्या 11 के दादी मां रिश्ते में लगती थी और हमारे बडे पिता एवं दादा जी श्री चुन्नीलाल जी का निधन आज से करीब 19 वर्ष पूर्व हो गया और उनके मरणोपरान्त उनकी बेवा मांगीबाई की सेवा चाकरी देखभाल मुझ प्रतिवादी संख्या 11 एवं 1 द्वारा की जा रही थी और हमारी सेवा से खुश होकर 15.01.2004 को मांगीबाई ने प्रतिवादी संख्या 11 के पक्ष में पुरे स्टाम्प पर वसीयत पत्र लिख निष्पादित करवा दिया और उनके जीवनकाल तक मांगीबाई एवं मांगीबाई के फौत होने के बाद उनकी कुलिया चल अचल सम्पति का वारिश इस वसीयत पत्र के जरिये प्रतिवादी संख्या 11 को बना दिया उस वक्त वादी स्वयं मौजूद था और उसने वसीयत पत्र पर साख के रूप में हस्ताक्षर किये। प्रतिवादी संख्या 11 ने मांगीबाई के जीवनकाल तक सेवा चाकरी की ओर उनके मरणोपरान्त उनका सारा क्रिया क्रम पिण्ड प्रदान किया और उनकी चल व अचल सम्पति का मालिक होकर जायदाद पर काबिज है किन्तु वादी के मन मे बदयान्ति आ जाने से अपने पुत्र हरिश के नाम से धोखे में रखकर गोदनामा निष्पादित कराया और बाद में जाली कुटरचित वसीयत पत्र वादी ने अपने पक्ष में निष्पादित कराया जो मुझ प्रतिवादी संख्या 11 के मुकाबले नल एण्ड वोईड है और ऐसे गोद पत्र एवं वसीयत पत्र के आधार पर वादी को अथवा उसके पुत्र को किसी प्रकार का कोई राईट प्राप्त नहीं होता हैं। मांगीबाई की जायदाद का वसीयत दिनांक 15.01.2004 से प्रतिवादी संख्या 11 मालिक होकर खातेदार काश्तकार है एवं वादी व अन्य का इस जायदाद में कोई हक व अधिकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:53 IST
Reason: SelfAttested

आधिपत्य नहीं होने से वे इस जायदाद से प्रतिवादी संख्या 11 को बेदखल करना चाहते है जिससे उनके विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा भी जारी कराया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। काउन्टर क्लेम की बिनाय वादी द्वारा वाद प्रस्तुत करने की दिनांक 26.10.2004 को पैदा हुआ जो निरन्तर जारी हैं।

9. अन्त में निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 11 के पक्ष में एवं वादी के विरूद्व निम्न आशय की डिक्री प्रदान करायी जावे कि काउन्टर क्लेम के परिशिष्ट क की आराजीयात में से 1/3, ख की आराजीयात में से 1/9, ग की आराजीयात में से 1/3, घ की आराजीयात सम्पूर्ण का प्रतिवादी संख्या 11 को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन कराया जावें। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 10 एवं 12 को इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जावे कि वे काउन्टर क्लेम में वर्णित आराजीयात में आवे नहीं, जावे नही, जबरन कब्जा नहीं करे तथा राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथावत स्थिति बनाये रखें। वादी का वाद सव्यय खारिज फरमाया जाकर मुझ प्रतिवादी संख्या 11 का काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जावें।

10. **प्रतिवादी संख्या 12 द्वारा जवाब दावा पेश कर** निवेदन किया कि मेरी माताजी श्रीमती मांगीबाई पत्नी चुन्नीलाल धोबी निवासी ईण्टाली ने वादी के पक्ष में एक वसीयत अपने जीवनकाल में ही निष्पादित कर अपनी समस्त चल अचल सम्पति को उक्त वसीयत द्वारा वादी के पक्ष में हस्तान्तरित कर दी थी और मेरी माताजी वादी के पास ही निवास करती थी जिनका देहावसान दिनांक 23.03.2004 को हो गया था। मेरी माताजी ने मेरे को दिनांक 01.03.2004 को सामाजिक रीति रिवाजानुसार समाज के मौतबिर लोगो की उपस्थित में गोद रखा था क्योंकि स्व. चुन्नीलाल जी मेरी माताजी को ऐसा करने के लिए अपने जीवनकाल में ही निर्देश देकर गये थे। मेरी माताजी ने समाज व गांव के मौतबिर लोगो की उपस्थिति में सामाजिक रिति रिवाजानुसार मुझे गोद में ले, लेहरिया बंधवाकर गोद की रस्म अदा की ओर मैं प्रतिवादी स्व. चुन्नीलाल जी धोबी का दत्तक पुत्र हुं और स्व. मांगीबाई के स्वर्गवास पश्चात उनका समस्त काज करियावर व अन्य सामाजिक रस्मो की अदायगी पुत्र की हैसियत से मैने स्वयं ने की व मांगीबाई के स्वर्गवास पश्चात उनके अंतिम क्रियाकर्म में पुत्र की हैसियत से मुखाग्नि दी थी। मेरी [illegible] स्व. मांगीबाई पत्नी चुन्नीलाल जी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:53 IST
Reason: SelfAttested

धोबी ने अपने जीवनकाल में ही अपनी समस्त चल अचल सम्पति यथा कृषि भूमि, मकान इत्यादि को दिनांक 24.02.2004 को वादी के पक्ष में वसीयत निष्पादित कर वादी को हस्तान्तरित कर दी थी और वादी ने ही मेरी माताजी के अंतिम वर्षों में अर्थात मृत्यु से करीबन 15 वर्ष पूर्व से वादी ही मांगीबाई की सेवा सुश्रषा, दवा, इलाज इत्यादि करता था और उनका पालन पोषण भी वादी ने ही किया था। मेरी माताजी स्व. मांगीबाई धोबी का स्वर्गवास दिनांक 23.03.2004 को हो गया था जिसके पश्चात् स्व. मांगीबाई की समस्त चल अचल सम्पति पर वादी ही काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहा हैं। मांगीबाई धोबी के स्वर्गवास पश्चात् श्री रमेश, ईश्वरलाल, श्रीमती वरदी व भेरूलाल इनकी चल अचल सम्पति पर जबरन कब्जा करने को आमादा है और झुठे व मिथ्या दस्तावेजो की आड में उक्त सम्पति अपने नाम पर करने के लिए नायब तहसीलदार सा. सनवाड के यहां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे अस्वीकार कर न्यायालय से सक्षम न्यायालय में अपना पक्ष रखने के लिए आदेश दिया। स्व. मांगीबाई की जिस वसीयत दिनांक 15.01.2004 को अनिल कुमार धोबी के पक्ष में निष्पादित की थी उक्त वसीयत को दिनांक 24.02.2004 को पुनः वादी के पक्ष में वसीयत निष्पादित कर पूर्व की वसीयत को निरस्त कर दी थी और यही वसीयत स्व. मांगीबाई धोबी की अंतिम वसीयत हैं। स्व. मांगीबाई के स्वर्गवास पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 से 11 नाजायज रूप से वादी को नुकसान पहुंचाने की नियत से नाजायज हरकते कर रहे है और खेतो से घास काट लेते है, मवेशी चरा देते हैं। अन्त में निवेदन किया कि वादी को स्व. मांगीबाई धोबी के हिस्से की आराजीयात जिनका वर्णन वादपत्र में किया गया है उसे वादी के नाम पर राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में अंकित कर दी जावे और प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि वो उक्त सम्पति में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से करावें।

11. **प्रतिवादी संख्या 9 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया** कि श्रीमती मांगीबाई बेवा चुन्नीलाल धोबी निवासी ईण्टाली प्रतिवादी संख्या 10 भेरूलाल की सगी भाभी है और श्रीमती मांगीबाई ने अपने जीवनकाल में दिनांक 24.02.2004 को या कभी भी वादी के पक्ष में किसी प्रकार की वसीयत निष्पादित नहीं की है। श्रीमती

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:53 IST
Reason: SelfAttested

मांगीबाई अपने जीवन के अंतिम पांच वर्षों में लकवा से पिडित थी और चलने फिरने की अवस्था में नही थी जिससे श्रीमती मांगीबाई का वल्लभनगर आकर वादी के पक्ष में वसीयत निष्पादित करवा देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता हैं। वादी ने उक्त आराजीयात को हडपने की नियत से उक्त फर्जी दस्तावेज तैयार करवाये हैं। स्व. मांगीबाई बेवा चुन्नीलाल धोबी निवासी ईण्टाली ने प्रतिवादी संख्या 12 हरिश को दिनांक 01.03.2004 को या कभी भी दत्तक पुत्र नहीं रखा है न हरिश गांव ईण्टाली में ही रहता है, हरिश गुजरात राज्य में रहकर वही नौकरी करता है और गत दस वर्षों में कभी गांव ईण्टाली नहीं आया हैं। हरिश ने श्रीमती मांगीबाई के मरने के पश्चात उनका अंतिम संस्कार नहीं किया अपितु मुझ प्रतिवादी संख्या 10 भेरूलाल ने भाभी होने के नाते मांगीबाई की मृत्यु पश्चात उनका अंतिम संस्कार किया और सामाजिक रीति रिवाजानुसार उनका द्वादशा मिती चैत्र सुदी 13 शनिवार दिनांक 03.04.2004 को गांव ईन्टाली में किया और गंगामाता का गंगोज दिनांक 04.04.2004 को किया जिसमें समाज व गांव के व्यक्ति सम्मिलित हुए और समाज व रिश्तेदारों में उक्त द्वादशा व गंगोज बाबत चिट्ठिया मुझ भेरूलाल व ईश्वरलाल के नाम से वितरित की गयी, जिसकी शोक पत्रिका जवाब के साथ संलग्न हैं। यह कि मृतका श्रीमती मांगीबाई पत्नी चुन्नीलाल धोबी निवासी ईन्टाली ने दिनांक 24.02.2004 को या कभी भी अपने अधिकार आधिपत्य व कब्जे के मकान, भूमि की वसीयत वादी के पक्ष में नहीं की क्योंकि मृतका मांगीबाई अपने अंतिम पांच वर्षों से लकवा से ग्रसित होकर चलने फिरने की अवस्था में नही थी वादी ने कुट रचना कर एक फर्जी वसीयत तैयार कर वाद में वर्णित आराजीयात को हडपना चाहता हैं। उक्त वर्णित भूमि पर वादी का कब्जा कभी नहीं रहा है न ही वर्तमान में ही वादी का कब्जा हैं, उक्त भूमि पर कब्जा मुझ प्रतिवादी संख्या 10 भेरूलाल एवं श्रीमती वरदीबाई पत्नी गणपतलाल धोबी का ही है और हम ही उक्त भूमि पर मांगीबाई के जीवनकाल से ही काबिज होकर काश्त कर रहे है और प्रति वर्ष फसल बो व काट रहे है, वादी या अन्य किसी का उक्त वादगत भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है। हम प्रतिवादी रमेश, ईश्वरलाल व श्रीमती वरदी एवं भेरूलाल स्वर्गीय मांगीबाई बेवा चुन्नीलाल धोबी निवासी ईण्टाली के अधिकार आधिपत्य व खातेदारी की [illegible] मृतक मांगीबाई के जीवनकाल से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:53 IST
Reason: SelfAttested

ही काबिज है और काश्त कर रहे है, हमारे मन में कोई लालच पैदा नहीं हुआ है मृतका मांगीबाई ने अनिल कुमार पिता रमेशचन्द्र के पक्ष में कोई वसीयत निष्पादित नहीं की है और मुझ भेरूलाल व ईश्वरलाल ने अनिल कुमार धोबी के विरूद्व इस हस्तगासा अन्तर्गत धारा 420 ता.हि. में माननीय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब, वल्लभनगर में प्रस्तुत किया गया है जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन हैं। हरिश या अनिल कुमार ने नायब तहसीलदार सा. सनवाड के समक्ष कोई आवेदन किया हो तो उसकी जानकारी हम प्रतिवादीगण को नहीं हैं।

12. यह कि मृतका श्रीमती मांगीबाई बेवा चुन्नीलाल धोबी निवासी ईण्टाली ने दिनांक 24.02.2004 को या कभी भी वादी के पक्ष में कोई वसीयत निष्पादित नहीं की है और न ही दिनांक 15.01.2004 को अनिल कुमार के पक्ष में ही कोई वसीयत निष्पादित की है क्योंकि मृतका मांगीबाई अपने जीवन के अंतिम पांच वर्षों में लकवा की बीमारी से ग्रस्त हो चलने फिरने की अवस्था में नहीं थी और न ही इसकी मानसिक अवस्था ही अच्छी थी जिससे वादी या अनिल कुमार के पक्ष में वसीयत निष्पादित करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता हैं। वादी ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर उक्त वादगत भूमि हडपना चाहता हैं। वादी उक्त भूमि को अपने नाम पर खातेदार काश्तकार की हैसियत से दर्ज करवाने का अधिकारी नहीं हैं। मृतका मांगीबाई के अधिकार आधिपत्य खातेदारी की जमीन पर वादी ने कभी भी खेती नहीं की है, वादी मुलतः प्रतापगढ का निवासी है और गांव ईण्टाली में कभी निवास नहीं किया है सारे कथन मिथ्या अंकित किये है। हम प्रतिवादीगण मृतका मांगीबाई के जीवनकाल से ही उक्त वादगत भूमि पर काबिज हो काश्त कर रहे है जिससे छुपकर घास काटने, फसल में मवेशी घुसा देने का प्रश्न नहीं उत्पन्न होता व वादी किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। यह कि वादी उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार नहीं है, न ही वादी का कभी भी उक्त भूमि पर कब्जा ही रहा है न वादी ने इस भूमि पर कभी खेती ही की है मात्र फर्जी दस्तावेज के आधार पर अपने आप को खातेदार काश्तकार घोषित करवाना चाहता है जिसका उसको कोई अधिकार नहीं हैन ही हम प्रतिवादीगण के विरूद्व निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी ही हैं। वादी उक्त भूमि क[illegible] करवाने का भी अधिकारी नहीं है

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:53 IST
Reason: SelfAttested

क्योंकि वादी उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार ही नहीं है न ही इसका उक्त भूमि पर कब्जा ही हैन पूर्व में ही कभी कब्जा रहा हैं। मृतका मांगीबाई धोबी ने प्रतिवादी संख्या 12 हरिश को कभी गोद नहीं रखा है न ही उसका दत्तक पुत्र है और मृतका मांगीबाई ने वादी के पक्ष में कभी कोई वसीयत निष्पादित नहीं की हैं। विशेष कथन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी मुलतः गांव प्रतापगढ का रहने वाला है और वादी कभी भी गांव ईण्टाली में निवास नहीं रहा है न ही कभी वादगत भूमि पर पैर रखा है और न ही वादी का उक्त भूमि पर कब्जा ही है न पूर्व में कभी कब्जा रहा हैं। स्वर्गीय मांर्गीबाई के स्वर्गवास के पश्चात् उक्त वादगत भूमि का कुछ हिस्सा जो मांगीबाई ने रामनाथ पिता केसरनाथ निवासी ईण्टाली के रहन रखा था उक्त रहन रखी भूमि को भी हम प्रतिवादीगण ने नकद राशि अदा कर रहन से छुडाया हैं। उक्त वादगत भूमि पर हम प्रतिवादीगण मृतका मांगीबाई के जीवनकाल से ही काबिज होकर काश्त कर रहे है और वर्तमान में भी उक्त भूमि पर हमारा कब्जा है और हम ही काश्त कर रहे हैं।

13. **वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 11 के काउन्टर क्लेम का जवाब पेश कर** निवेदन किया कि मृतक मांगीबाई की जायदाद हडपने के लिए वादी ने कुट रचित वसीयत पत्र दिनांक 24.02.2004 ईस्वी को तैयार किया है पूर्णतः गलत है। वादी के पक्ष में तारीख 24.02.2004 ईस्वी को श्रीमती मांगीबाई बेवा चुन्नीलाल ने अपना अंतिम वसीयतनामा स्वैच्छा से स्वस्थ मनबुद्धि से निष्पादित कराया है। यह वसीयत पत्र कुट रचित नहीं हैं। प्रतिवादीगण ने इस वसीयत पत्र को कुटरचित होना मात्र लिखा है परन्तु कुट रचित क्यों और कैसे है इसके लिए कोई भी कथन वादोत्तर एवं प्रतिवाद पत्र में नहीं हैं। जिस वजह से प्रतिवादीगण का कथन अविश्वसनीय हैं। स्व. मांगीबाई ने तारीख 01.03.2004 ईस्वी को हरीश के पक्ष में गोद पत्र लिख उसका नायब तहसील सनवाड में पजीयन कराया हैं। हरीश ने मांगीबाई का अंतिम संस्कार किया और काज करियावर भी किया। प्रतिवादीगण ने वादी के पक्ष में स्व. श्रीमती मांगीबाई द्वारा लिखा वसीयत पत्र को पुनः कुट रचित वसीयत पत्र होने का कथन बिना किसी आधार के किया है सो मानने योग्य नहीं हैं। वादी स्व. मांगीबाई की भूमि पर उसके जीवनकाल से काबिज हैं। मांगीबाई अपने भाई वादी के साथ ही गलत

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:53 IST
Reason: SelfAttested

20 वर्ष तक अंत समय तक रही थी। स्व. मांगीबाई की भूमि पर न तो अनिल कुमार काबिज हैं। स्व. मांगीबाई की भूमि पर न तो अनिल कुमार काबिज है न उस पर उसका कोई स्वत्व ही हैं। स्व. मांगीबाई द्वारा वादी के पक्ष में निष्पादित वसीयत पत्र के निष्पादन को अस्वीकार किया है तथा इस वसीयत पत्र को कुट रचित वसीयत पत्र बिना आधार के होने का कथन किया हैं। वादी के पक्ष में स्व. मांगीबाई द्वारा अंतिम वसीयत पत्र निष्पादित करने के तथ्यों को अस्वीकार किया हैं। प्रतिवादी संख्या 1 ने स्व. मांगीबाई अपने भाई वादी के साथ में अपने जीवन के अंतिम समय तक रही हैं।

14. यह कि रमेश प्रतिवादी ने मौजा ईण्टाली की खतौनी संख्या 445 की आराजी किता 13 रकबा 21 बीघा 14 बिस्वा भूमि में अपना 1/6 खातेदारी अधिकार, खतौनी संख्या 739 आराजी किता 6 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा में स्व. मांगीबाई बेवा चुन्नीलाल का 1/9 खातेदारी अधिकार एवं खतौनी संख्या 114 में आराजी किता 1 रकबा 16 बिस्वा स्व. मांगीबाई बेवा चुन्नीलाल धोबी का 1/3 खातेदार अधिकार एवं खतौनी संख्या 576 की आराजी किता 1 रकबा 7 बिस्वा स्व. मांगीबाई बेवा चुन्नीलाल धोबी अकेले के खातेदारी होने का कथन कर अपने खातेदारी अधिकार की हो जाने का कथन किया हैं। निवेदन है कि इन खतौनी संख्या 739, 114 के सह खातेदार अर्थात श्री कालु, बाबुलाल, रोडा, मु. केसी, नारायणलाल, रामलाल, मथरा, मु. गुलाबी, मु. लेरी, मु. मांगी इस वाद में पक्षकार नहीं है, जिसके अभाव में प्रतिवादीगण का यह प्रतिवाद पत्र चलने योग्य नहीं है। इसी प्रकार खतौनी संख्या 576 की भूमि भी सभी प्रतिवादीगण से संबंधित नहीं हैं। मौजा ईण्टाली की खतौनी संख्या 445, 739, 114, 576 में अंति सहखातेदार स्व. श्रीमती मांगीबाई बेवा चुन्नीलाल धोबी के खातेदारी की भूमि के हिस्से का ही विवाद होना स्वीकार है परन्तु अन्य सहखातेदारान का पक्षकार मुकदमा होना आवश्यक है क्योंकि प्रतिवाद पत्र घोषणा एवं निषेधाज्ञा जारी कराने का हैं। प्रतिवाद पत्र में स्व. नेणा के खानदान का सजरा दिया वो अपूर्ण हैं। स्व. चुन्नीलाल पिता प्रतापजी धोबी ने प्रतिवादी हरीश पिता अम्बालाल धोबी को दत्तक पुत्र रखा है जो इस सजरे में नही बताया हैं।

15. यह कि स्व. चुन्नीलाल धोबी की सेवा चाकरी रमेश द्वारा या अनिल ने कभी नहीं की। उसकी देखभाल उसकी बहन श्रीमती मांगीबाई ने ही की थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:53 IST
Reason: SelfAttested

मांगीबाई ने अनिल के पक्ष में वसीयत पत्र लिखना स्वीकार, परन्तु वसीयत पत्र लिखने के बाद में श्री रमेश और अनिल प्रतिवादीगण ने स्व. मांगीबाई से झगडा कर लिया और इन्होने मांगीबाई की सेवा करने और उसके लिए खर्चा करने से मना कर दिया। इस पर मांगीबाई ने रमेश को, अनिल को अपने वकील से एक सूचना पत्र दिलाया परन्तु फिर भी रमेश और अनिल ने श्रीमती मांगीबाई की सेवा करना कबूल नहीं किया। इस पर स्व. मांगीबाई ने वादी के पक्ष में वसीयत पत्र निष्पादित किया। वादी के पक्ष में तारीख 24.12.2004 को जो वसीयत पत्र स्वर्गीय मांगीबाई ने निष्पादित किया वही उसका अंतिम वसीयत पत्र हैं। स्व. मांगीबाई विधवा होने के पश्चात गत 19–20 वर्षों से वादी के ही साथ निवास कर रही थी और वादी ही मांगीबाई की खेती की बुवाई व कटाई में बराबर मदद करता रहा हैं। मांगीबाई के मरने के पश्चात मांगीबाई की सम्पूर्ण कृषि भूमि ओर मकान पर केवल वादी ही काबिज है। प्रतिवादी का इस पर न तो कब्जा है, न पहले कभी कब्जा रहा हैं।

16. यह कि प्रतिवादी स्व. मांगीबाई की कृषि भूमि का, मकान का स्वामी नहीं हुआ है बल्कि वादी स्व. मांगीबाई की सम्पति का एकमात्र स्वामी हुआ है। मांगीबाई की सम्पति पर वादी का ही कब्जा हैं। इसलिए प्रतिवादी रमेश चन्द्र, अनिल को स्व. मांगीबाई की सम्पति से बेदखल करने का सवाल ही नहीं हैं। प्रतिवादी अनिल को कोई वाद हेतु दिनांक 26.10.2004 को या अन्य किसी दिन पैदा नहीं होता हैं। स्व. मांगीबाई बेवा चुन्नीलाल धोबी वादी की सगी बहन है जो अपने पति के मरने के पश्चात वादी के ही साथ ईण्टाली में रह रही थी। स्व. मांगीबाई ने अपने पति के मरने के पश्चात अपनी समस्त चल अचल सम्पति का वसीयत पत्र वादी के पक्ष में तारीख 24.12.2004 को निष्पादित किया जो स्व. मांगीबाई का अंतिम वसीयत पत्र हैं। जिस वजह से वादी स्व. मांगीबाई बेवा चुन्नीलाल धोबी की समस्त सम्पति का उसके मरने के पश्चात स्वामी, खातेदार कृषक हो गया हैं। वादी ही सम्पति पर काबिज हो भुगत भोग कर रहा हैं। प्रतिवादी संख्या 11 अनिल अपने पक्ष में वादी के खिलाफ घोषणा एवं निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। प्रतिवादी का प्रतिवाद पत्र सव्यय खारिज होने योग्य होने से खारिज फरमाया जावें। विशेष कथन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ईण्टाली की [illegible] संख्या 739 किता 6 रकबा 11

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:53 IST
Reason: SelfAttested

बीघा 15 बिस्वा, खतौनी संख्या 114 की आराजी किता 1 रकबा 16 बिस्वा और खतौनी संख्या 576 आराजी किता 1 रकबा 7 बिस्वा का अलग से वादपत्र कर रखा हैं। इस भूमि का वाद इस वादपत्र के साथ करना संभव नहीं था क्योंकि भूमियों में भिन्न भिन्न सह खातेदारान हैं।

17. प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 11, 12 द्वारा राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि हम वादीगण/प्रार्थीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 11, 12 के मध्य लोक अदालत की भावना से आपस में राजीनामा हो चुका है और अब कोई विवाद शेष नहीं जिससे हम वादीगण/प्रार्थीगण एवं अन्य प्रतिवादीगण सहमत हुए कि प्रतिवादी संख्या 12 श्री हरिश दत्तक पुत्र श्री चुन्नीलाल जी धोबी के पक्ष में हुए गोदनामा को हम पक्षकारान स्वीकार करते है एवं गोदनामा के आधार पर चुन्नीलाल जी की पत्नी मांगीबाई के नाम पर वाद वर्णित आराजीयात को प्रतिवादी हरीश जो कि दत्तक पुत्र है के नाम पर न्यायालय में विचाराधीन वाद डिक्री फरमाया जावे एवं उक्त प्रकरण को राजीनामा के आधार पर फैसल कर डिक्री कर राजीनामा अनुसार डिक्री जारी किये जाने की कृपा करावें। अन्त में निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में राजीनामा को तस्दीक किया जाकर राजीनामा की अनुमति प्रदान कर प्रकरण को आज ही राजीनामा के आधार पर फैसल कर डिक्री कर राजीनामा अनुसार डिक्री फरमाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करावें। हम प्रतिवादीगणों को राजीनामा स्वीकार है एवं हर्जे खर्चे का कोई एतराज नहीं हैं।

18. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की राजीनामें पर बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा राजीनामें अनुसार वाद डिक्री किया जाने का निवेदन किया।

19. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर बगौर मनन किया। राजीनामें का अध्ययन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा ईण्टाली पटवार हल्का ईण्टाली तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2056–59 के खाता संख्या 445 पर दर्ज आराजी नम्बर 2004, 2005, 2008, 2009, 2010, 2616, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625 किता 13 कुल रकबा 21 बीघा 14 बिस्वा भूमि में मांगी बेवा चुन्नीलाल [illegible]/3 हिस्से से दर्ज है। शेष हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:53 IST
Reason: SelfAttested

अन्य सहखातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। वाद पत्र में वादग्रस्त भूमि विवाद केवल मात्र मांगी बेवा चुन्नीलाल के 1/3 हिस्से तक ही है। यह तथ्य तो निर्विवादित है कि खातेदार मांगी बेवा चुन्नीलाल का निधन हो चुका है। क्यों कि उक्त तथ्य को उभय पक्षकारान द्वारा स्वीकार किया गया है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 11 द्वारा वसीयत के आधार पर भूमि दर्ज करवाना चाहा।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि खातेदार मांगी पत्नी चुन्नीलाल द्वारा अपनी जीवनकाल में रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 01.03.2004 से प्रतिवादी संख्या 12 श्री हरीश दत्तक पुत्र श्री चुन्नीलाल धोबी को गोद रखा। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 11 के पक्ष में निष्पादित दोनो वसीयत अनरजिस्टर्ड है। उक्त दोनो वसीयत अनरजिस्टर्ड होने से इनकी सत्यता के संबंध में विचार किया जाने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नही है। रजिस्टर्ड दस्तावेज/गोदनामा प्रतिवादी संख्या 12 के पक्ष में है। रजिस्टर्ड गोदनामें के आधार पर प्रतिवादी संख्या 12 खातेदार मांगी पत्नी चुन्नीलाल का पुत्र है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत किसी खातेदार की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति विरासत से उसके प्रथम श्रेणी के वारिस अर्थात पुत्र व पुत्रियों में निहित होगी। इस प्रकार इस प्रकरण में भी खातेदार मांगी पत्नी चुन्नीलाल के निधन के पश्चात उसके नाम दर्ज हिस्सा भूमि उसका दत्तक पुत्र प्रतिवादी संख्या 12 में निहित हुई।

प्रकरण में खातेदार मांगी पत्नी चुन्नीलाल के हिस्से को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 11 द्वारा ही क्लेम किया गया था। उनके द्वारा भी राजीनामा प्रस्तुत कर स्वीकार कर लिया गया है कि खातेदार मांगी पत्नी चुन्नीलाल के हिस्से को उसके दत्तक पुत्र के नाम दर्ज की जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नही है। अन्य किसी पक्षकार द्वारा उक्त भूमि के संबंध में काउण्टर वाद प्रस्तुत नही किया गया है। अतः उपरोक्त विवेचन एवं रजिस्टर्ड गोदनामें के आधार पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 11, 12 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 जा.दी. स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 11, 12 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 स्वीकार किया डिक्री किया जाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:53 IST
Reason: SelfAttested

है कि मौजा ईण्टाली पटवार हल्का ईण्टाली तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2056–59 के खाता संख्या 445 पर दर्ज आराजी नम्बर 2004, 2005, 2008, 2009, 2010, 2616, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625 किता 13 कुल रकबा 21 बीघा 14 बिस्वा भूमि मांगी बेवा चुन्नीलाल के नाम 1/3 हिस्से से दर्ज है, के बजाय प्रतिवादी संख्या 12 श्री हरीश दत्तक पुत्र चुन्नीलाल धोबी को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है तथा शेष खाता बदस्तुर रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 26.03.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:53 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, जिला उदयपुर

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 151/04 (वाद)

GCMS No. : 2004/00001

उनवान्

1. श्री अम्बालाल पिता फकीरचन्द्र धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
1/1 श्री निलेश पिता अम्बालाल धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
1/2 श्रीमती कैलाशी पत्नी प्रभुलाल धोबी निवासी सनवाड तहसील मावली।
1/3 श्रीमती उमाबाई पत्नी मुकेश कुमार धोबी निवासी म.न.ए40 सत्यम हॉस्पीटल के सामने रेल्वे मेडिकल कॉलोनी रेल्वे हॉस्पीटल जोधपुर।
1/4 श्रीमती शान्ताबाई बेवा अम्बालाल धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली। मृतक

.....वादीगण

बनाम्

1. श्री रमेश पिता हिरा धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
2. श्री राजेन्द्र पिता मोहनलाल धोबी निवासी सराडा तहसील सराडा।
3. श्री देवेन्द्र पिता मोहनलाल धोबी निवासी सराडा तहसील सराडा।
4. श्रीमती सीमा पुत्री मोहन धोबी निवासी सराडा तहसील सराडा।
5. श्रीमती रीना पिता मोहन धोबी निवासी सराडा तहसील सराडा।
6. श्रीमती मोहन (मोहन की विधवा पत्नी) निवासी सराडा तहसील सराडा।
7. श्री ईश्वरलाल पिता गणपतलाल धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
8. श्रीमती इन्दिरा पुत्री गणपतलाल पत्नी बद्रीलाल धोबी निवासी राजनगर, नया बस स्टेण्ड के पास हाईवे पर जिला राजसमन्द।
9. श्रीमती वरदी बेवा गणपतलाल धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।**(तर्क)**
10. श्री भेरूलाल पिता मांगीया धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
11. श्री अनिल कुमार पिता रमेशचन्द्र धोबी बविलायत पिता रमेशचन्द्र धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
12. श्री हरीश दत्तक पिता चुन्नीलाल धोबी निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:53 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 11, 12 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 जा.दी. स्वीकार किया डिक्री किया जाता है कि मौजा ईण्टाली पटवार हल्का ईण्टाली तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2056–59 के खाता संख्या 445 पर दर्ज आराजी नम्बर 2004, 2005, 2008, 2009, 2010, 2616, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625 किता 13 कुल रकबा 21 बीघा 14 बिस्वा भूमि मांगी बेवा चुन्नीलाल के नाम 1/3 हिस्से से दर्ज है, के बजाय प्रतिवादी संख्या 12 श्री हरीश दत्तक पुत्र चुन्नीलाल धोबी को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है तथा शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 26.03.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:53 IST
Reason: SelfAttested